रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2004/भाद्र 30, 1926

No. 412]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2004/BHADRA 30, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिजर्ब बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

- मुम्बई, 30 अगस्त, 2004

सं. फेमा 122/2004-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 625(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 और धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा जारी करना) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
 - (ii) ये अगस्त 2004 के दिनांक 30 से लागू होंगे।

विनियमावली में संशोधन

- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली, 2000, में
 - अ. विनियम 2(vii क) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :
 - ''अनिवासी भारतीय का अर्थ वही होगा जो उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अधीन दिया गया है।''
 - आ. विनियमावली 5 में उप-विनियम (1) में "अथवा श्री लंका" शब्दों को हटा दिया जाए।

[सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-[[]]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

पाद टिप्पणी : — मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक 8 मई, 2000 के सा.का.नि. 406(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किया गया है :—

सा.का.नि. 175(अ) दिनांक 13-3-2001

सा.का.नि. 182(अ) दिनांक 14-3-2001

सा.का.नि. 158(अ) दिनांक 2-3-2001

सा.का.नि. 574(अ) दिनांक 19-8-2002

सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 2-1-2002

सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 18-3-2003

सा.का.नि. 225(अ) दिनांक 18-3-2003

सा.का.नि. 558(अ) दिनांक 22-7-2003

सा.का.नि. 835(अ) दिनांक 23-10-2003

सा.का.नि. 899(अ) दिनांक 22-11-2003

सा.का.नि. 12(अ) दिनांक 7-1-2004

सा.का.नि. 278(अ) दिनांक 23-4-2004

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th August, 2004

No. FEMA 122/2004-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 625(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:—

Short Title and Commencement

- 1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2004.
 - (ii) They shall come into force on the 30th day of August, 2004.

Amendment of the Regulations

- 2. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000,
 - A. Regulation 2(vii a) shall be substituted as under:
 - "NRI shall have the same meaning assigned to him under the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulation, 2000."
 - B. In Regulation 5 in sub-regulation (1), the words "or Sri Lanka" shall be deleted.

[No. 1/23/EM/2000-Vol. III]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

Foot Note:—The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E) dated the 8th May, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

- G.S.R. 175(E) dated 13-3-2001
- G.S.R. 182(E) dated 14-3-2001
- G.S.R. 158(E) dated 2-3-2001
- G.S.R. 574(E) dated 19-8-2002
- G.S.R. 4(E) dated 2-1-2002
- G.S.R. 223(E) dated 18-3-2003
- G.S.R. 225(E) dated 18-3-2003
- G.S.R. 558(E) dated 22-7-2003
- G.S.R. 835(E) dated 23-10-2003
- G.S.R. 899(E) dated 22-11-2003
- G.S.R. 12(E) dated 7-1-2004
- G.S.R. 278(E) dated 23-4-2004

अधिसूचना

मुम्बई, 9 सितम्बर, 2004

सं. फेमा 123/2004-आरबी

सा.का.नि. 626(अ). — विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के नाम को ''विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग'' से ''विदेशी मुद्रा विभाग'' में परिवर्तित, करने के लिए रिजर्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जनवरी 31, 2004 से रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियमों में दर्शाये जाने वाले शब्दों ''विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग'' और ''वि.मृ.नि.वि.'' को क्रमशः ''विदेशी मुद्रा विभाग'' और ''वि.मृ.वि.'' के रूप में पढ़ा जाएगा।

[सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-]]]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th September, 2004

No. FEMA 123/2004-RB

G.S.R. 626(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and pursuant to change of nomenclature of Exchange Control Department of Reserve Bank of India from "Exchange Control Department" to "Foreign Exchange Department", the Reserve Bank hereby notifies that with effect from January 31, 2004, the words "Exchange Control Department" and "ECD" appearing in the Regulations notified from time to time by Reserve Bank of India, shall be read as "Foreign Exchange Department" and "FED", respectively.

[No. 1/23/EM/2000-Vol. III]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director